



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH
MEERUT

FY 965382

शपथ -पत्र

हम प्रवीण कुमार बंसल अध्यक्ष एवं अल्पना बंसल सचिव सर्व शिक्षा प्रसार सेवा समिति, म०न० 102 आर्य नगर ककरखोडा जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश शपथपूर्वक निम्नवत बयान करते हैं -

1. यह कि हमारी सोसाइटी / ट्रस्ट द्वारा प्रवीण कुमार बंसल अध्यक्ष अल्पना बंसल सचिव सर्व शिक्षा प्रसार सेवा समिति, म०न० 102 आर्य नगर ककरखोडा मेरठ, उत्तर प्रदेश नाम डिप्लोमा स्तरीय फार्मैसी शिक्षण संस्थान की स्थापना सत्र 2020-21 से किया जाना प्रस्तावित है।
2. यह कि हमारी सोसाइटी / ट्रस्ट के नाम प्रवीण कुमार बंसल अध्यक्ष एवं अल्पना बंसल सचिव सर्व शिक्षा प्रसार सेवा समिति, म०न० 102 आर्य नगर ककरखोडा मेरठ (उ०प्र०) में गाटा संख्या 37 रकबा 1.0870 हेक्टर कुल रकबा 1.0870 हेक्टर भूमि है।
3. यह है कि उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी वाद किसी भी न्यायालय में नहीं चल रहा है, और भूमि विवाद रहित है।

यह कि, उपरोक्त पते पर ट्रस्ट के नाम उपलब्ध भूमि के गाटा संख्या 37 रकबा 1.0870 हेक्टर कुल रकबा 1.0870 हेक्टर पर उपरोक्त नाम की डिप्लोमा स्तरीय फार्मैसी शिक्षण संस्थान की स्थापना किये जाने का

सोसाइटी / ट्रस्ट की बैठक दिनांक 17/06/2019 द्वारा पारित किया गया है।

यह कि, उपरोक्त भूमि पर ही प्ररगत डिप्लोमा स्तरीय फार्मैसी शिक्षण संस्थान के संचालन हेतु भवनों का निर्माण अनुमोदित नक्शे के अनुसार किया गया है।

6. यह कि, निरीक्षण समिति के समक्ष उपरोक्त पते पर सोसाइटी / ट्रस्ट के नाम भूमि एवं उस पर निर्मित एवं निर्धारित भवनों को ही निरीक्षण समिति के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है।

यह कि, इस भूमि एवं इस पर निर्मित भवनों पर केवल उपरोक्त नाम की डिप्लोमा स्तरीय फार्मैसी शिक्षण संस्थान का ही संचालन किया जायेगा।



8. यह कि, इस संस्था में फार्मसी कौंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध पाठ्यक्रमों एवं प्रवेश-क्षमता के अनुसार ही पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।
9. यह कि, उपरोक्त भूमि व इस पर निर्मित भवनों में प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्ध संस्था एवं पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त किसी अन्य परिषद/विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित/सम्बद्ध कोई अन्य संस्थान/विद्यालय/महाविद्यालय/आई०टी०आई० आदि का संचालन न तो पूर्व में कभी किया गया है, और न ही भविष्य में कभी किया जावेगा।
10. यह कि, संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक क्लास रूम, प्रयोगशालाओं एवं कार्यशालाओं आदि को फार्मसी कौंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद के मानकों के अनुसार ही सुसज्जित किया जायेगा।
11. यह कि संस्था के संचालन हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं अशैक्षिक स्टाफ की तैनाती सोसाइटी/ ट्रस्ट द्वारा सत्र प्रारंभ के पूर्व कर लिया जावेगा।
12. यह कि शासन/परिषद द्वारा निर्गत निर्देशों/आदेशों का मलीभांति पालन करूंगा। यदि मेरे संस्थान में किसी भी समय स्थलीय निरीक्षण में मानकानुसार कोई भी कमी पायी जाती है। तो परिषद की निरीक्षण एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा। एवं मुझे मान्य होगा। इस हेतु मेरे द्वारा कोई विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी।
13. हम घोषणा करते हैं कि हमारे द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना मेरी निजी जानकारी में पूर्ण रूप से सत्य है। यदि दी गयी जानकारी एवं अभिलेख/दस्तावेज फर्जी, कूटस्थित अथवा त्रुटिपूर्ण पाये जाते हैं तो मेरे विरुद्ध परिषद द्वारा नियमानुसार कानून संगत कार्यवाही की जा सकेगी। ऐसी की गयी विधिक कार्यवाही हेतु मैं स्वयं उत्तरदायी होऊंगा।

Acpana
ह०सचिव

[Signature]
ह० अध्यक्ष

ATTESTED
[Signature]
SHAKIR HUSAIN
NOTARY- 4410
GOVT. OF INDIA
MEERUT